प्रतिवेदन

परियोजना का नाम :– **जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड स्याल्दे में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज–8 के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण।**
लम्बाई :– **13.650 किमी0।**

जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु शासनादेश संख्या 910/पी01–18/यू0आर0आर0डी0ए0/05 दिनांक 21.06.06 द्वारा 13.650 किमी0 लम्बाई हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कराया जाना है।

यह मार्ग देघाट नामक स्थान से प्रारम्भ होकर लालनगरी तक जाता है। यह मार्ग पूर्ण लम्बाई वन पंचायत भूमि एवं नाप भूमि से होकर गुजरता है।

इस मार्ग के निर्माण से ग्राम सभा लालनगरी की जनसंख्या लाभान्वित होगी।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 7.00 मी00 चौड़ाई तथा 4.270 किमी0 लम्बाई में सिविल एवं सोयम वन भूमि एवं आरक्षित वनभूमि आती है।

देघाट से लालनगरी मोटर मार्ग के वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव भारत सरकार वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/155/2011/एफ0सी0/918 दिनांक 11.08.11 के द्वारा कतिपय आपत्तियों में लौटाया गया। जिसमें उनके द्वारा मोटर मार्ग की चौड़ाई 9.00 मी0 से कम कर 7.00 मी0 में करने, विस्फोटकों के उपयोग के सम्बन्ध में वैकल्पिक समरेखनों को GIS मैप में दर्शाने, क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण तथा उसका क्षेत्रफल GIS मैप में दर्शाने प्रस्तावित योजना में अक्षांश देशान्तर सहित मार्ग का समरेखन GIS मैप में दर्शाने तथा डिजीटल द्वांरा मैप लगाने हेतु आपत्ति में लौटाये गये।

डिजीटल मैप काफी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण उक्त प्रस्ताव में तीन माह से अधिक का विलम्ब होने के कारण पुनः भारत सरकार वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 1/मि0स0/बन्द/1146/यू0सी0पी0/11/1149 दिनांक 18.10.2012 द्वारा बन्द/निरस्त कर दिये गये थे।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार गठित कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा रहे है।

(आर0पी0पाण्डेय)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट

(चन्द्रपाल सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 सल्ट

D:\Amin\PARTIVEDAN Deghat-Lalnagari MR.doc